

- :: कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.) :: -

॥ आदिवासी विकास शाखा ॥

फैक्स नं. 0788-2323655, ई-मेल - actwd.durg@Gmail.com

क्रमांक/149 /आ.जा.क./6/सा.स्था./2023

दुर्ग, दिनांक 12/05/2023

//नियुक्ति हेतु विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 एवं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/सा.स्था.3/भर्ती-24/2023/1096 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.05.2023 के तारतम्य में निम्नानुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 30.05.2023 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम एवं वेतनमान	रिक्त पदों की संख्या					पात्रता की शर्तें
		कुल रिक्त	अनु.ज. जा.	अनु.जा.	पि.वर्ग	अनारक्षित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डाटा एन्ट्री आपरेटर वेतनमान रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2200	01	-	-	-	01	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण या कक्षा दसवी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा। (3) कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा होना अनिवार्य है।
2	वाहन चालक वेतनमान रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 1900	01	-	-	-	01	माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिये।

नियम व शर्तें :-

- उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से सृजित पदों के आधार पर है। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, पदों की संख्या कम/अधिक करने के लिए समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। शासकीय एवं अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थियों को नियोक्ता का नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र/स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य होगा। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरते, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा तिथि, विषय, वर्ग विकलांगता इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
6. विकलांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 40 प्रतिशत एवं उससे ऊपर विकलांगता के ही प्रमाण पत्रों को ही मान्य किया जायेगा।
7. दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में आवेदन की आयु 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-
 एक - यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
 दो - छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु 10 वर्ष।
 तीन - छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटिजेसी पेड कर्मचारियों, छ.ग. राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी।
 परंतु सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।
8. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9. शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ आवेदक नियुक्ति हेतु अनर्ह होगा।
10. आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।
11. आवेदक किसी नैतिक अधोपतन संबंधी अपराध में दोषी न ठहराया गया हो।
12. विज्ञप्ति जारी होने के निरंतर विगत वर्षों का अनुभव के प्रतिवर्ष 2 अंक की दर से अधिकतम 20 अंक देय होगा।
13. दक्षता/कौशल परीक्षा, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
14. अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था का ही मान्य किया जावेगा।
15. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार समिति का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना रिक्त पदों के आधार पर की जावेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
16. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन करने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
18. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्षों की परीक्षावधि पर की जावेगी।
19. किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
20. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए उसके पश्चात् प्राप्त की गई कोई भी योग्यता को मान्य नहीं किया जायेगा।
21. आवेदन पत्र का प्रारूप :- आवेदक को आवेदन पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रारूप कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) दुर्ग के सूचना पटन पर देखी जा सकती है। साथ ही वेबसाईड www.durg.gov.in पर भी उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
22. आवेदन पत्र जमा करने की विधि :- आवेदक उपरोक्त निर्धारित आवेदन प्रारूप को स्पष्ट रूप से भरते हुए वांछित समस्त प्रमाण पत्र (दस्तावेज) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से लिफाफे के ऊपर "..... के पद पर नियुक्ति हेतु पत्र" लिखकर कार्यालय सहायक

आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग (छत्तीसगढ़) के पते पर प्रेषित किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ 05 रुपये का डाक टिकट लगा स्वयं का पता लिखा लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 30.05.2023 को सायं 5:00 बजे तक ही स्वीकार किये जावेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। विज्ञापन जारी होने से पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

23. एक से अधिक पदों हेतु आवेदन भरने की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र भरकर पृथक लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा।
24. अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
25. पूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इसके संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा। वांछित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें।
26. उपरोक्त उल्लेखित पद के लिये चयन प्रक्रिया का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
27. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त
वास्ते कलेक्टर, दुर्ग

आवेदन का प्रारूप

के पद हेतु आवेदन पत्र'

प्रति,

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास दुर्ग
जिला दुर्ग (छ.ग.)

स्व प्रमाणित
नवीनतम
पासपोर्ट
साईज रंगीन
फोटो चस्पा
करे

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. आवेदित पद का नाम | — | _____ |
| 2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के केपीटल अक्षर में) | — | _____ |
| 3. पिता/पति का नाम | — | _____ |
| 4. वर्तमान पता
(पत्र व्यवहार हेतु) | — | _____ |
| 5. स्थायी पता | — | _____ |
| 6. राष्ट्रीयता | — | _____ |
| 7. जन्मतिथि | — | _____ |
| 8. आयु (01.01.2023) को | — | वर्ष — माह — दिन — |
| 9. जन्म स्थान | — | _____ |
| 10. वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/—
अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) | — | _____ |
| 11. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता — | — | _____ |

[illegible]

12. वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण (यदि है) — —————
13. अनुभव (वर्ष) — —————
(संस्था/कार्यालय का नाम) — —————
14. रोजगार कार्यालय का नाम — —————
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक — —————
तथा दिनांक
16. क्या आप विवाहित हैं (हां/नहीं) — —————
17. दो से अधिक जीवित संतान होने की दशा में विवरण— —————
18. संलग्नों की सूची :-
- | | |
|----------|----------|
| 1. ————— | 2. ————— |
| 3. ————— | 4. ————— |
| 5. ————— | 6. ————— |
| 7. ————— | 8. ————— |

आवेदक का हस्ताक्षर.....

नाम

घोषणा पत्र

मैं..... घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही हैं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है, कि इनमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

स्थान :- ————

दिनांक :- ————

आवेदक का हस्ताक्षर.....

नाम

पूर्ण पता.....

मो.नं.